न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 66/2005

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
पंचायत प्रसार अधिकारी सिरोही।		1. सरपंच ग्राम पंचायत झाडौली। 2. सुश्री बिन्दा कुमार पुत्र श्री जयसिंह राजपूत निवासी झाडौली तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।

पंचायत निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थितिः–

1. सहायक विकास अधिकारी सिरोही प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 15.04.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना–पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, झाडौली द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 70 दिनांक 13.07.1986 मिसल संख्या 138/84–85 दिनांक 17.03.1984 वर्गफीट 1800 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियम 257, 258, 259, 260 की पालना किये बिना नियम 266 के तहत जारी किया गया है।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित। प्रकरण मे एक पक्षीय विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को गांव के मुख्य स्थान पर नियमो के विपरित पट्टा जारी किया है। पंचायत के अभिलेख मे भूमि के विक्रय के संबंध मे मिसल संख्या 138/84–85 दिनांक 17.03.1984 दर्ज है तथा पट्टे मे भी मिसल संख्या व तारीख दायर दर्ज है। आपत्ति नोटिस निगरानी के साथ पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नही होने का कोई उल्लेख नहीं है। शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। राजस्थान पंचायत राज सामान्य नियम 266(घ) के अनुसार जहां व्यक्ति [illegible] की भूमि पर कब्जा 20 अथवा अधिक परन्तु 40 वर्ष से कम का हो वहां विद्यमान बाजार दर का एक तिहाई भाग और जहां कब्जा 40 वर्ष से अधिक का हो वहां विद्यमान बाजार दर का छठा भाग प्रभारित किया जाएगा, जबकि अप्रार्थी संख्या दो का वहां कोई कब्जा नहीं था। अप्रार्थी संख्या दो तत्कालीन सरपंच की पुत्री थी एवं तत्कालीन सरपंच श्री जयसिंह ने अपने पद का गलत फायदा उठाकर अपने परिवार के सदस्यों के नाम पट्टे जारी ग्राम पंचायत झाडौली द्वारा करवाए गए। इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है। पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है। जिससे अप्रार्थी संख्या दो को

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.27 12:19:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner